संख्या:223/2016/872/35-4-2016

प्रेषक ,

अबरार अहमद,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष ,
लोक निर्माण विभाग,
उ0 प्र0 लखनऊ।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक:31 मई,2016

विषय: त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत जारी शासनादेश में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद रामपुर में शासनादेश संख्या-153/2016/653/35-4-2016 दिनांक 25 अप्रैल,2016 द्वारा सेतु निर्माण से सम्बन्धित कार्य यथा: **मौ0 अली जौहर वि0वि0 से एकता चौराहे तक फलाईओवर कार्य** की चतुर्थ किश्त के रूप में धनराशि अवमुक्त की गई है। उक्त शासनादेश के प्रस्तर-1 में प्रथम, द्वितीय व तृतीय किश्त के रूप में कुल अवमुक्त की गयी धनराशि टंकण त्रुटिवश रू. 1000.84 लाख अंकित हो गयी है।

अत: उक्त संन्दर्भित शासनादेश के प्रस्तर-1 में प्रथम, द्वितीय व तृतीय किश्त के रूप में कुल अवमुक्त की गयी धनराशि रू. 10004.80 लाख पढ़ी जायेगी। उक्त शासनादेश इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

भवदीय

(अबरार अहमद)
विशेष सचिव

संख्या:223/2016/872(1)/35-4-2016 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, इलाहाबाद।
3- प्रमुख सचिव, लोक निर्माण।
4-प्रमुख सचिव, वित्त।
5-निजी सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी ।
6-मण्डलायुक्त, मुरादाबाद।
7-जिलाधिकारी, रामपुर।
8-मुख्य विकास अधिकारी, रामपुर।
9-मुख्य कोषाधिकारी, रामपुर।
10-गार्ड फाईल।
11- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग- 5
12- राज्य योजना आयोग-1
13-जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, रामपुर।

आज्ञा से

(अबरार अहमद)
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in